मु.सं. 19/2016 ...

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 19/2016
अनवान :—

श्री महमूद अली, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री रामचन्द्रसिंह पुत्र श्री मांगीलालसिंह राजपुरोहित (विक्रेता मालिक) मैसर्स— जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, लूणकरणसर, जिला बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी — श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से — श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता

—: निर्णय :— दिनांक 21.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06.11.2015 को अप्रार्थी रामचन्द्रसिंह पुत्र श्री मांगीलाल सिंह राजपुरोहित (विक्रेता मालिक) मैसर्स— जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, लूणकरणसर, जिला बीकानेर के यहां दुकान के निरीक्षण के दौरान काउन्टर में रखी एक स्टील की ट्रे में लगभग 04 किलोग्राम मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर एकरूप कर 02 किलोग्राम मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) नमूना संग्रह हेतु उनके बताये अनुसार मूल्य 440/— रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं प्रार्थी स्वयं के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त खरीदशुदा मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) को चार बराबर—बराबर भागों में बांटकर चारों साफ सुखी एवं खाली बोतलों में डालकर एवं प्रत्येक बोतल में 40—40 बूंदे फॉर्मेलिन डालकर, इन चारों नमूना बोतलों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया तथा उस पर कोड़ एवं क्रमांक एबी— 615 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग को सील चपड़ी कर, फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त एक सीलबन्द बोतल को मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 23.12.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.12.2015 के अनुसार इस मामले में Quality Characteristics-No.5-B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standards as per rule- 40.0 to 44.0 (For Milk Fat) की तुलना में 46.7 पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थी खींवसर जिला नागौर का स्थायी निवासी है। बाजार से खाद्य सामग्री जैसे दूध पेड़ा नमकीन खोखे में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जो सैम्पल लिया गया था वो तैया नहीं किया गया था न ही सेम्पल के बारे में जानकारी थी। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई। अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया है कि अप्रार्थी ने जुर्म स्वीकार किये जाने पर उनके प्रति नरमी का रूख अपनाते हुवे प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश फरमाया जावे। इसके विपरीत प्रार्थी अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व कथन का खण्डन करते हुवे बताया कि अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) का सैम्पल लिया गया, जो सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है।

5. हमने उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) का सेम्पल लिया गया था, वह मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट क्रमांकः एल.एस./3617/एक्ट/2015/1378 दिनांक 23.12.2015 संलग्न है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

के यहां पाया गया मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) Quality Characteristics-No.5-B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standdards as per rule- 40.0 to 44.0 (For Milk Fat) की तुलना में 46.7 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा पेड़ा (मावे की मिठाई) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हुन अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रू. 10,000/– अखरे दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर एवं अप्रार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति.जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner